



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273142
CG-DL-E-04062026-273142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]
No. 148]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 2 जून, 2026
सं. 15/2026-2027

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2ख उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में संशोधन-संबंधी।

फा. सं. 01/89/180/07/एएम-26/पी.सी-2(ए)/ई-46336.— समय समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत-ओमान सीडपीए) हेतु उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के लिए अनुमत प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को शामिल करके विदेश व्यापार नीति, के परिशिष्ट 2ख (उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

क्र.सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां
21.	भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत ओमान सीईपीए)	विदेश व्यापार महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय
		निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां
		कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
		समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय
		केन्द्रीय रेशम बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय
		काँयर बोर्ड
		विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कार्यालय
		मसाला बोर्ड
		वस्त्र समिति और क्षेत्रीय कार्यालय
		तंबाकू बोर्ड
		कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
		फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र
		कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला
		एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र
		नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
		एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र
		विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

2. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: यह सार्वजनिक सूचना भारत-ओमान सीईपीए के तहत उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीह) जारी करने के लिए अनुमत की गई प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को अधिसूचित करती है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd June, 2026

No. 15/ 2026-27

Subject: Amendment of Appendix 2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Preferential)] of Foreign Trade Policy, 2023-reg.

F. No. 01/89/180/07/AM-26/PC-2(A) / E-46336.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Appendix-2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (CoO) (Preferential)] of the FTP by including the list of Authorised Agencies allowed to issue CoO for India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (India-Oman CEPA), as under:

S.No.	Name of the Agreement	Authorized Agencies
21.	India-United Kingdom –Comprehensive Economic and Trade Agreement (India-UK CETA)	Directorate General of Foreign Trade and its regional offices
		Export Inspection Council and Export Inspection Agencies
		Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)
		Marine Products Export Development Authority and regional offices

	Central Silk Board and regional offices
	Coir Board
	Development Commissioner, Handicraft and regional offices
	Spices Board
	Textile Committee and regional offices
	Tobacco Board
	Cochin Special Economic Zone,
	Falta Special Economic Zone
	Kandla Special Economic zone,
	MEPZ Special Economic Zone
	NOIDA Special Economic Zone
	SEEPZ Special Economic Zone
	Vishakhapatnam Special Economic Zone

2. **Effect of the Public Notice:** The Public Notice notifies the list of authorised agencies permitted to issue Preferential Certificates of Origin under the India-Oman CEPA.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.